20.12.17 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। साक्ष्य वादी अभी उपस्थित नहीं आज साक्ष्य हेतु समय चाहा। आपत्ति के समय दिया जाता है पत्रावली आगामी वाद हेतु दिनांक 7.2.18 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा

7.2.18 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। आज साक्ष्य उपस्थित नहीं आने से वकील वादी ने समय चाहा। समय दिया वादी हेतु समय चाहा। समय दिया जाता है पत्रावली आगामी वाद हेतु वादी अपने खर्चे हेतु दिनांक 7.3.18 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा

7-3-18 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। आज साक्ष्य उपस्थित नहीं होने से वकील वादी ने साक्ष्य वादी हेतु समय चाहा। समय दिया जाता है। पत्रावली आगामी वाद दिनांक 25-4-18 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा

25-4-18 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप० साक्ष्य वादी वकील ने साक्ष्य हेतु समय चाहा। समय दिया जाता है पत्रावली आगामी दिनांक 22-5-18 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा

22-5-18 पत्रावली न्यायालय आसके द्वारा केस 2-बजे अस्थायी केन्द्र आबू रोड में पेश हुई। वादीगण संख्या 1/1 एवं 1/7 की ओर से वादीगण संख्या 1/6 शम्भुप्रसाद पुत्र रमेशचन्द्र जाति रावल

वादीगण ने 1/1 1/7 की ओर से शम्भुप्रसाद व 2/1 की ओर से वादी वाद चलाना नहीं

शम्भूराव
(पुष्पराव)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की में जारी हु
मुजारिब रमेश कुमार गोपीकाराम प्रतिवादीगण की ओर से	निवासी कोटखला उपस्थित। व वादीगण संख्या 1/1 ता 1/5 की ओर से वादीगण 1/4 प्रदीप कुमार पुत्र कांतिलाल जाति रावत नि॰ कोटखला उप॰ तथा प्रतिवादीगणों कि संख्या 1 ता 7 की ओर से प्रतिवादीगण संख्या 2 मुबारक पुत्र जैनमल्ली हीरागर नि॰ कोटखला एवं रमेश कुमार पुत्र भीमाराम उप॰ वादीगण एवं प्रतिवादी गण द्वारा लोक अदालत अभियान मध्य आपके हक में उप॰ होकर आपसी सहमति एवं राजीनामे के बाद आगे नही चलाने हेतु लिखित सहमति व्यक्त की। जिसे शामिल मिसल किया गया तथा सहमति स्वरूप पत्रावली पर भी अपने हस्ताक्षर दिये श्री शम्भुप्रसाद तथा प्रदीप कुमार ने कथन किया की उन्होने अन्य वादीयों की प्रकरण मे राजीनामा हेतु सहमति प्राप्त कर ली है। क्योंकी वादीयों व प्रतिवादीयो ने जरिए राजीनामा प्रकरण को आगे नही चलाना चाहते है। व राजीनामा हो गया है। अतः पत्रावली मे अब कोई कार्यवाही शेष नही है। अतः पत्रावली को जरिए राजीनामा विड्रोल की अनुमति दी जाती है। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

सहायक कलेक्टर, पिपलू